

वन विभाग के अन्तर्गत वन वृत्त वन्य प्राणी (दक्षिण) शिमला हिमाचल प्रदेश में वन रक्षकों की अनुबंध के आधार पर भर्ती।

हिमाचल प्रदेश वन विभाग के वन वृत्त वन्य प्राणी (दक्षिण) शिमला में वन रक्षकों के कुल 15 पदों की अनुबंध के आधार (On Contract Basis) पर सीधी भर्ती हेतु online माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। वन-रक्षकों की भर्ती सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या FFE-A(B)2-3/2016 दिनांक 12.07.2019 व 19.04.2021, अधिसूचना संख्या FFE-A(B)23/2010 दिनांक 20.09.2014 तथा संशोधित अधिसूचना संख्या FFE-A(B)2-23/2010-I dated 08.07.2016)1st Ammendment(व No FFE- A(B) 2-8/ 2017Dated 26.08. 2017(IInd Ammendment) वन रक्षक भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के आधार पर की जाएगी। आवेदन के लिए आवेदक का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय/उप राजेगार कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है। अनुबंध के आधार पर नियुक्त वन रक्षक को 5910 रूपए (मूल वेतन) 2000 रूपए (ग्रेड पे) व ग्रेड पे पर 150 प्रतिशत बढ़ौतरी की राशि प्रति माह अनुबंध वेतन के रूप में दी जाएगी। वन रक्षक के पद पर चयनित उम्मीदवार को अनुबंध के आधार पर प्रारंभ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसका वर्षानुवर्ष नवीकरण/अवधि विस्तार, वर्ष के दौरान संतोषजनक सेवा और आचरण सम्बन्धित मुख्य अरण्यपाल द्वारा प्रमाणित करने के उपरान्त किया जाएगा। यदि अनुबन्ध में एक वर्ष की या उससे अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो पश्चात्ती वर्ष/वर्षों के लिए अनुबन्ध राशि में सेवा नियमानुसार तीन प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि देने का प्रावधान है। वन रक्षक पद वृत्त स्तरीय संवर्ग का है यदि आवेदक वन वृत्त वन्य प्राणी (दक्षिण) शिमला में भर्ती होने का इच्छुक हो और निर्धारित शर्तें पूरी करता हो तो [official website www.hpforest.nic.in](http://www.hpforest.nic.in) द्वारा online माध्यम से अपना आवेदन कर सकता है। आवेदन की अन्तिम तिथि 19.08.2021 सांय 5 बजे तक है। महिला उम्मीदवार भी इस पद के लिए आवेदन कर सकती हैं। वन वृत्त वन्य प्राणी (दक्षिण) शिमला में उपलब्ध पदों का श्रेणीवार विवरण निम्न प्रकार से है:-

Sr. No	Category	Un-reserved	Ex-Serviceman	Home Guard	Freedom Fighter	Sportsman	Antodaya/ BPL	Total
1.	General	2	2	-	-	1	-	5
2.	S.C.	1	1	-	1	-	1	4
3.	S.T.	1	-	-	-	-	-	1
4.	OBC	2	-	-	-	-	1	3
5.	E.W.S	2	-	-	-	-	-	2
	Total	8	3	-	1	1	2	15

नोट: भूतपूर्व सैनिकों के अंतर्गत पदों की भर्ती हेतु उम्मीदवार आवेदन न करें; उनकी भर्ती हेतु सम्बन्धित विभागों को नाम अनुमोदन करने के लिए अलग से लिखा जायेगा।

पात्रता की आवश्यक शर्तें: -

- आवेदक का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है। आवेदक का नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत/नवीनीकरण (Renewal) होना अनिवार्य है।
 - आवेदक की आयु 1 जनवरी, 2021 को 18 वर्ष से कम और 30 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- नोट: अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए

अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट होगी। इसी प्रकार सार्वजनिक उपक्रम/सवायत निकायों से संबंधित आवेदकों को भी नियमानुसार छूट का प्रावधान है।

3. आवेदक ने किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/शिक्षण संस्थान से 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। अभ्यर्थी, वन रक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए तभी पात्र होगा/होगी यदि उसने हिमाचल प्रदेश में अवस्थित किसी स्कूल/संस्थान से दसवीं और 10+2 की परीक्षा उत्तीर्ण की हो। परन्तु यह शर्त हिमाचल प्रदेश के स्थाई निवासियों को लागू नहीं होगी।

शारीरिक माप दण्ड:		
	पुरुष	महिला
1. ऊँचाई	165 सेंमी0	150 सेंमी0
2 छाती (क) बिना फुलाए	79 सेंमी0	74 सेंमी0
(ख) फुलाकर	84 सेंमी0	79 सेंमी0

नोट: अनुसूचित जनजाति के आवेदकों को लम्बाई में 5 सेंटीमीटर और छाती में 4 सेंटीमीटर की छूट होगी।

4. शारीरिक दक्षता परीक्षण (टैस्ट) (पी0ई0टी0) केवल अर्हक परीक्षण (टैस्ट) होगा ।

पुरुष अभ्यर्थियों के लिए			
क्रम संख्या	मद	न्यूनतम माप दण्ड	टिप्पणियां
1	100 मीटर की दौड़	14 सैकेंड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)	केवल अर्हक
2	800 मीटर की दौड़	2 मिनट 45 सैकेंड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)	केवल अर्हक
3	ऊँची कूद	1.25 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे)	केवल अर्हक
4	लंबी कूद (ब्राड जम्प)	4 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे)	केवल अर्हक
महिला अभ्यर्थियों के लिए			
क्रम संख्या	मद	न्यूनतम माप दण्ड	टिप्पणीयाँ
1	100 मीटर की दौड़	17 सैकेंड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)	केवल अर्हक
2	800 मीटर की दौड़	4 मिनट 15 सैकेंड (कोई अतिरिक्त मौका नहीं दिया जाएगा)	केवल अर्हक
3	ऊँची कूद	1 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे)	केवल अर्हक
4	लंबी कूद (ब्राड जम्प)	3 मीटर (अधिकतम तीन मौके दिए जाएंगे)	केवल अर्हक

भर्ती प्रक्रिया :

1. शारीरिक दक्षता परीक्षा (Physical Efficiency Test)

- i) वे उम्मीदवार जो न्यूनतम शारीरिक मापदंड पूर्ण करते हो उन्हें निर्धारित शारीरिक दक्षता परीक्षण 100 मीटर, 800 मीटर दौड़, ऊंची छलांग तथा लंबी छलांग, सभी में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षण समय सारणी के अनुसार होगा, जिसकी सूचना बाद में दी जाएगी।
- ii) वे उम्मीदवार जो शारीरिक दक्षता के सभी परीक्षणों में अर्हक/उत्तीर्ण होंगे केवल उन्हें ही लिखित परीक्षा में बैठने का अवसर प्रदान किया जाएगा तथा लिखित परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षण के तुरंत बाद दी जाएगी। यह जानकारी विभागीय वेबसाइट (www.hpforest.nic.in) पर उपलब्ध होगी।
- iii) शारीरिक दक्षता अर्हक परीक्षण तथा लिखित परीक्षा के परिणामों पर आधारित योग्यता सूची के अनुसार उम्मीदवारों को व्यक्तित्व प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन हेतु सूचित किया जाएगा, यह जानकारी विभागीय वेबसाइट (www.hpforest.nic.in) पर उपलब्ध होगी। मूल्यांकन जो कि लिखित परीक्षा के अंकों व नीचे दर्शाए गए प्रमाण पत्रों, जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या पीईआर (एपी. बी.) बी (15)-5/2014 दिनांक 17.04.2017 व 25.04.2017 द्वारा अधिसूचित किया गया है, के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। प्रमाण पत्रों के आधार पर अंको का विवरण निम्न प्रकार से हैं:-

क्रम संख्या	परीक्षण	निर्धारित अंक
1	शारीरिक दक्षता	-
2	लिखित परीक्षा (लिखित परीक्षा में प्राप्तांको की प्रतिशतता 85 अंकों में से परिकलित की जानी है उदाहरणार्थ, लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को 42.5 अंक दिए जाएंगे)	85
3	प्रमाण पत्रों का मूल्यांकन*	15
i)	भर्ती एव पदोन्ती नियमों में विहित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता हेतु वरीयता। शैक्षिक अर्हता में प्राप्तांकों की प्रतिशतता 0.025 से गुणा की जाएगी। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति ने अपेक्षित शैक्षिक अर्हता में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, जो उसे 1.25 अंक ($50 \times 0.025 = 1.25$) अनुज्ञात किये जाएंगे।	2.5 अंक
ii)	यथास्थित, अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र या पंचायत से सम्बन्धित।	01 अंक
iii)	भूमिहीन कुटुम्ब/एक हैक्टेयर से कम भूमि वाले कुटुम्ब को सम्बद्ध राजस्व प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।	01 अंक
iv)	इस प्रभाव का गैर-नियोजन प्रमाण-पत्र कि कुटुम्ब का कोई भी सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी सेवा में नहीं है।	01 अंक
v)	40 प्रतिशत विकृति/निःशक्ता/दुर्बलता से अधिक वाले दिव्यांगजन।	01 अंक
vi)	एन.एस.एस. (कम से कम एक वर्ष) एन.सी.सी. में प्रमाण पत्र	01 अंक

	धारक/भारत स्काउट और गाइड/राष्ट्रीय स्तर की खेल स्पर्धाओं में पदक विजेता	
vii)	सरकार द्वारा समय-समय पर यथाविहित 40,000/- से कम(समस्त स्त्रोतों से) वार्षिक आय वाला बी. पी. एल. कुटुम्ब	02 अंक
viii)	विधवा/तलाकशुदा/अकिचन/एकल महिला।	01 अंक
ix)	एकल बेटी/अनाथ	01 अंक
x)	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से आवेदन किए गए पद से संबंधित कम से कम 6 महीने की अवधि का प्रशिक्षण।	01 अंक
xi)	सरकारी/अर्धसरकारी संगठन में, आवेदित पद से सम्बन्धित अधिकतम पांच वर्ष तक का अनुभव (प्रत्येक पूर्ण किए गए वर्ष के लिए 0.5 अंक)	2.5 अंक
	*(क्योंकि वन रक्षक के प्रवर्ग को दिव्यांगजन के लिए तात्पर्यित तीन प्रतिशत आरक्षण से छूट है इसलिए किसी भी अभ्यर्थी को इस बिन्दू के अधीन कोई अंक नहीं दिया जाएगा।)	

आवेदकों के लिए आवश्यक निर्देश :

- आवेदन पत्र केवल online through official web at www.hpforest.nic.in ही मान्य होगा।
- आवेदन पत्र की जांच के उपरान्त उम्मीदवारों को स्थानीय अखबार के माध्यम तथा विभागीय वेबसाइट से शारीरिक दक्षता परीक्षण के बारे में सूचित किया जाएगा।
- यदि कोई आवेदन पत्र अधूरा प्राप्त होता है तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। तथा इस बारे कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा।
- यदि शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं व्यक्तिगत परीक्षा की प्रक्रिया किसी कारण वश निर्धारित तिथि को पूर्ण नहीं होती है तो वह अगले दिन भी जारी रहेगी।
- आवेदक शारीरिक दक्षता परीक्षण एवं व्यक्तिगत परीक्षा के समय निम्नलिखित दस्तावेज मूल रूप में अपने साथ अवश्य लाएं:
 - क. दसवीं का प्रमाण पत्र
 - ख. शैक्षणिक योग्यता (10+2) प्रमाण पत्र
 - ग. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग/ आईआरडीपी/ अन्तयोदय/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र।
 - घ. पासपोर्ट आकार की चार नवीनतम फोटो साथ लाएं।
 - ड. रोजगार कार्यालय में पंजीकरण का प्रमाण पत्र, जिसका नवीनीकरण किया गया हो।
- अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों, जो 32 कि०मी० से अधिक दूरी से साक्षात्कार के लिए आएंगे। वह नियमानुसार आने जाने के वास्तविक बस किराये की राशि के पात्र होंगे। अन्य उम्मीदवारों को कोई भी यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- यदि प्रार्थी शारीरिक जांच /शारीरिक दक्षता परीक्षा/लिखित परीक्षा व व्यक्तिगत प्रमाण पत्रों के मूल्यांकन के लिए निर्धारित तिथियों को उपस्थित नहीं होता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द समझी जाएगी।
- विज्ञापित किये गए पदों की संख्या Tentative हैं तथा ये बढ़ाई व घटाई जा सकती है।
- सक्षम अधिकारी बिना कोई कारण बताए बिना शर्त इस चयन प्रक्रिया को समाप्त करने तथा पदों की संख्या में बदलाव करने का अधिकार रखता है।
- केवल वही अभ्यर्थी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं जिनका नाम हिमाचल प्रदेश के किसी भी रोजगार कार्यालय में पंजीकृत हो।

11. अनुबंध के आधार पर नियुक्त अनुबन्धी को किसी भी दशा में सेवा में नियमितिकरण का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा ।
12. प्रमाण पत्र का स्वयं सत्यापन मान्य होगा।
13. समस्त भर्ती प्रक्रिया COVID सम्बन्धि हालात व इस बारे सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशानिर्देशों पर निर्भर करेगी।

अन्य जानकारी के लिए मुख्य अरण्यपाल वन्य प्राणी वृत (दक्षिण) शिमला के कार्यालय में निम्नलिखित दूरभाष नम्बर पर सम्पर्क कर सकते हैं:-

वन्य प्राणी वृत (दक्षिण) शिमला: 0177-2620151


अतिरिक्त मुख्य अरण्यपाल,
प्रभारी वन्य प्राणी वृत (दक्षिण)
हिमाचल प्रदेश शिमला-2